अध्याय 3

सरकारी राजस्व का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रेषण

3.1 निधि प्रबंधन

3.1.1 राजस्व और व्यय की प्रवृत्ति

2015-20 की अवधि के दौरान परिवहन विभाग के नियामक विंग के संशोधित बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियां ***तालिका 3.1*** में दी गई हैं।

तालिका 3.1: नियामक विंग के बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	संशोधित बजट अनुमान पर वृद्धि (+)/कमी (-) (संशोधित बजट अनुमान के विरूद्ध प्रतिशत में)
2015-16	1,316.00	1,400.38	(+) 84.38 (6.41)
2016-17	1,600.60	1,583.06	(-) 16.94 (1.06)
2017-18	2,500.00	2,777.57	(+) 277.57 (11.10)
2018-19	2,950.00	2,908.29	(-) 41.71 (1.41)
2019-20	3,500.00	2,915.76	(-) 584.24 (16.69)
कुल	**11,866.60**	**11,585.06**	**(-) 281.54 (2.37)**

स्रोतः संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज तथा वित्त लेखे।

जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, वर्ष 2015-16 तथा 2017-18 के दौरान बजट अनुमानों पर वास्तविक प्राप्तियों में 6.41 प्रतिशत से 11.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17, 2018-19 और 2019-20 में बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में कमी आई थी। वास्तविक प्राप्ति में कमी 1.06 प्रतिशत से 16.69 प्रतिशत के मध्य रही। विभाग ने अनुमान से कम वाहनों (बड़े ट्रकों) के पंजीकरण के लिए बजट अनुमान से वास्तविक प्राप्ति में कमी को जिम्मेदार ठहराया। कुल मिलाकर, वास्तविक प्राप्तियां 2015-16 में ₹ 1,400.38 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 2,915.76 करोड़ हो गईं। 2017-19 के दौरान वास्तविक प्राप्ति में वृद्धि का मुख्य कारण 28 मार्च 2017 से लागू मोटर वाहन कर की दरों में वृद्धि थी। इस संबंध में अधिसूचना हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, जिसे 19 सितंबर 2016 को घोषित किया गया था। तथापि, 4 अप्रैल 2018 को पारित एक संशोधन अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 2017 से अधिनियम को प्रभावी बना दिया गया था। इन अधिनियमों के माध्यम से हरियाणा में यथा लागू पंजाब यात्री एवं माल कर अधिनियम, 1952 को भी निरस्त कर दिया गया था। यात्री एवं माल कर को यात्री एवं माल वाहनों के संबंध में उद्गृहीत किया गया था तथा अलग प्रमुख शीर्ष '0042-यात्री एवं माल पर कर' के अंतर्गत जमा किया गया था। यात्री एवं माल कर का प्रबंधन आबकारी एवं कराधान विभाग के पास था।

2015-20 की अवधि के दौरान नियामक विंग के बजट अनुमान और वास्तविक व्यय का विवरण ***तालिका 3.2*** में दिया गया है।

तालिका 3.2: नियामक विंग के बजट अनुमान और वास्तविक व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/आधिक्य (+) (प्रतिशत में)
2015-16	20.16	18.72	(-) 1.44 (7.14)
2016-17	34.44	28.57	(-) 5.87 (17.04)
2017-18	40.32	38.23	(-) 2.09 (5.18)
2018-19	92.85	55.79	(-) 37.06 (39.91)
2019-20	75.88	57.54	(-) 18.34 (24.17)
कुल	**263.65**	**200.55**	**63.10 (23.94)**

स्रोतः संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज और वित्त लेखे।

इन सभी वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय संशोधित बजट अनुमान से कम था। व्यय में कमी 5.18 प्रतिशत से 39.91 प्रतिशत के मध्य थी और इसका मुख्य कारण सड़क सुरक्षा पर कम व्यय था क्योंकि संबद्ध विभागों द्वारा ड्राइविंग, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का निर्माण आरंभ नहीं किया गया था। तथापि, वास्तविक व्यय 2015-16 में ₹ 18.72 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 57.54 करोड़ हो गया।

परिवहन वाहन

3.2 माल और यात्री परिवहन वाहनों के मालिकों से मोटर वाहन कर की वसूली

हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 की धारा 3 में प्रावधान है कि राज्य में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग के लिए रखे गए सभी मोटर वाहनों पर कर एवं जुर्माना ऐसी दर पर उद्गृहीत एवं एकत्रित किया जाएगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हो। सरकार ने समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं[1] द्वारा हरियाणा राज्य में पंजीकृत सभी श्रेणी के वाहनों के लिए मोटर वाहन कर की दरों को अधिसूचित किया।

29 सितंबर 2017 की अधिसूचना के नोट (डी) में प्रावधान है कि:

- नए वाहन के मामले में, कर उसकी खरीद की तारीख से 30 दिनों के अंदर देय है;
- हरियाणा राज्य में पहले से पंजीकृत परिवहन वाहनों के मामले में कर तिमाही/वर्ष के आरंभ होने के 30 दिनों के अंदर त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर देय है तथा मासिक आधार पर कर का भुगतान करने वाली हरियाणा और अन्य राज्यों की स्टेज कैरिज बसों के मामले में माह की शुरुआत से 10 दिनों के अंदर; तथा
- अन्य राज्य से हरियाणा में स्थानांतरित वाहन के मामले में वाहन को हरियाणा में रखने की तिथि से 30 दिनों के अंदर।

[1] अधिसूचना संख्या 13/15/2010-6टी(आई) दिनांक 28 मार्च 2017, 29 सितंबर 2017 और 31 मई 2019.

अधिसूचना के नोट (के) में प्रावधान है कि यदि माल ढोने वाले वाहन के मालिक, मासिक/तिमाही आधार पर कर का भुगतान करते हुए, एक वर्ष के लिए कर जमा करते हैं तो वार्षिक कर पर 10 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है। तथापि, यदि वाहन मालिक समय पर कर का भुगतान नहीं करता है तो अधिसूचना के नोट (डी) में देरी के प्रत्येक दिन के लिए देय कर के 0.5 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाने का प्रावधान है, इस शर्त के अधीन कि जुर्माने की राशि देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी। कर एवं जुर्माने के अतिरिक्त, विलंबित अवधि के लिए देय कर एवं जुर्माने पर एक[2] प्रतिशत प्रति माह की साधारण दर से ब्याज भी वसूलनीय है (अधिनियम की धारा 10(2))। वर्ष 2015-20 के दौरान विभिन्न वाहनों पर लगाए गए मोटर वाहन कर की दरों को दर्शाने वाली तालिका ***परिशिष्ट XI*** में दी गई है।

लेखापरीक्षा ने सभी चयनित जिलों में मोटर वाहन कर एवं जुर्माने की अवसूली/कम वसूली के मामले देखे, जैसा कि नीचे अनुच्छेद 3.2.1 से 3.2.3 में दिया गया है:

3.2.1 मोटर वाहन कर की कम वसूली

नमूना-जांच किए गए सभी आठ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों से संबंधित 14,567 मामलों के संबंध में देय कर एवं भुगतान किए गए कर से संबंधित वाहन डाटा की संवीक्षा में 2,879 वाहनों (14,567 का 19.76 प्रतिशत) के संबंध में ₹ 6.90 करोड़ के कर एवं जुर्माने के कम जमा होने का खुलासा किया है जैसा कि ***परिशिष्ट XII*** में दिया गया है।

विभाग ने भुगतान न करने के मामलों का अनुसरण नहीं किया।

संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने बताया कि संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

3.2.2 जुर्माने की वसूली न करना

चयनित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों में अप्रैल 2017 से मार्च 2020 की अवधि के लिए वाहन पर उपलब्ध परिवहन वाहनों की व्हीकल हिस्ट्री शीट्स की संवीक्षा से पता चला कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, गुरुग्राम में 21 सिटी बसों और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कैथल में 44 स्टेज कैरिज बसों के मालिकों ने 11 और 359 दिनों के मध्य के विलंब के साथ ₹ 1.27 करोड़[3] का मोटर वाहन कर जमा करवाया। विलंबित भुगतान पर ₹ 17.03 लाख का जुर्माना वसूलनीय था जबकि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने केवल ₹ 3.92 लाख की जुर्माना राशि वसूल की जिसके परिणामस्वरूप 58 मामलों में ₹ 12.24 लाख के जुर्माने की कम वसूली हुई तथा सात मामलों में ₹ 0.87 लाख की जुर्माना राशि की वसूली नहीं हुई।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने बताया कि वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे और वसूली की जाएगी।

---

[2] हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2018 के माध्यम से 1.5 प्रतिशत के लिए प्रतिस्थापित।

[3] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी गुरुग्राम (₹ 0.24 करोड़) और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी कैथल (₹ 1.03 करोड़)।

3.2.3 मध्यवर्ती अवधि से संबंधित मोटर वाहन कर

चयनित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों में उपलब्ध माल/यात्री वाहनों से संबंधित व्हीकल हिस्ट्री शीट की संवीक्षा से पता चला कि तीन[4] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारणों में यद्यपि 49 वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों ने अप्रैल 2015 से जनवरी 2020 तक विभिन्न मध्यस्थ महीनों के लिए ₹ 11.49 लाख का मोटर वाहन कर जमा नहीं करवाया था, अनुवर्ती अवधि के लिए भुगतान स्वीकार किए गए थे। इस प्रकार, बिना किसी अंतराल के निरंतर अवधि के लिए मोटर वाहन कर के भुगतान को लागू करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

विभाग लंबित करों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में नियंत्रण रख सकता है।

3.3 मोटर वाहन कर के लंबित होने के बावजूद परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण

क) राज्य से बाहर हस्तांतरित वाहनों के संबंध में

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 48(1), धारा 50(1) और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 55(3) में प्रावधान है कि जिस राज्य में वाहन पंजीकृत किया गया था, उसके अलावा किसी अन्य राज्य में वाहन के हस्तांतरण के मामले में नए पंजीकरण चिह्न की प्रदानगी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है। नियमों के नियम 58(1)(सी) में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन की तिथि तक मोटर वाहन कर के भुगतान का प्रावधान है। इसके अलावा, दिनांक 29 सितंबर 2017 की अधिसूचना के नोट (डी) में विलंब के प्रत्येक दिन हेतु देय कर के 0.5 प्रतिशत की दर से जुर्माने का प्रावधान है, इस शर्त के अधीन कि जुर्माने की राशि देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

चयनित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों में वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध परिवहन वाहनों की व्हीकल हिस्ट्री शीट की संवीक्षा से पता चला कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, गुरुग्राम ने मोटर वाहन कर के अद्यतित भुगतान को सुनिश्चित किए बिना मई 2018 में अन्य राज्यों में वाहनों के हस्तांतरण के दो मामलों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए। यद्यपि इन वाहनों के विरूद्ध अप्रैल 2016 तथा दिसंबर 2017 के मध्य की अवधि के लिए ₹ 0.55 लाख का मोटर वाहन कर एवं जुर्माना लम्बित था, इन अवधियों के कर को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों द्वारा साफ दर्शाया गया था तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.55 लाख के राजस्व को छोड़ने के अलावा अनापत्ति प्रमाण-पत्र का अनियमित निर्गमन हुआ।

[4] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी अंबाला, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम।

ख) राज्य के भीतर हस्तांतरित वाहन

हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 की धारा 6 में प्रावधान है कि यदि किसी मोटर वाहन के संबंध में लगाया जाने वाला कर मालिक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है और ऐसे मालिक ने कर का भुगतान करने से पहले ऐसे मोटर वाहन के स्वामित्व को हस्तांतरित कर दिया है तो वह व्यक्ति, जिसे मोटर वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया गया है, उक्त कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

चयनित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों में वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध परिवहन वाहनों की व्हीकल हिस्ट्री शीट्स की संवीक्षा से पता चला कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, गुरुग्राम ने लंबित मोटर वाहन कर का भुगतान सुनिश्चित किए बिना अप्रैल 2018 तथा अगस्त 2018 के मध्य राज्य के अंदर तीन परिवहन वाहनों के हस्तांतरण की अनुमति दी। यद्यपि इन वाहनों के विरूद्ध जुलाई 2016 तथा मार्च 2018 की अवधि के लिए ₹ 1.50 लाख का मोटर वाहन कर एवं जुर्माना लंबित था, इन अवधियों के कर को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों द्वारा साफ दर्शाया गया था तथा हस्तांतरण की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ने उपर्युक्त प्रावधान के अंतर्गत नए मालिकों से ₹ 1.50 लाख के लंबित कर और जुर्माने की वसूली सुनिश्चित नहीं की।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी गुरुग्राम ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

विभाग चूककर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

3.4 गैर-परिवहन वाहन

3.4.1 अन्य राज्यों से खरीदे गए वाहनों/निजी वाहनों में परिवर्तित किए गए व्यावसायिक वाहनों से मोटर वाहन कर की वसूली

सरकार ने दिनांक 29 सितंबर 2017 की अधिसूचना के जरिए निजी प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर देय मोटर वाहन कर की दर को अधिसूचित किया, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	मोटर वाहनों की श्रेणी	कर की दर
निजी प्रयोजन के लिए वाहन		
(i)	**दो पहिया वाहन**	
(क)	₹ 0.75 लाख की लागत तक	वाहन की लागत का चार प्रतिशत एकमुश्त देय
(ख)	₹ 0.75 लाख से अधिक और ₹ दो लाख तक की लागत	वाहन की लागत का छः प्रतिशत एकमुश्त देय
(ग)	₹ दो लाख की लागत से अधिक	वाहन की लागत का आठ प्रतिशत एकमुश्त देय
(ii)	**दुपहिया वाहन के अलावा अन्य वाहन**	
(क)	₹ छः लाख की लागत तक	वाहन की लागत का पांच प्रतिशत एकमुश्त देय
(ख)	₹ छः लाख से अधिक तथा ₹ 20 लाख तक की लागत	वाहन की लागत का आठ प्रतिशत एकमुश्त देय
(ग)	₹ 20 लाख की लागत से अधिक	वाहन की लागत का 10 प्रतिशत एकमुश्त देय

अधिसूचना के नोट (बी)(iv) में प्रावधान है कि पहले से पंजीकृत वाहनों के मामले में वाहन की लागत, उसी प्रकार के वाहन की वर्तमान एक्स-शोरूम कीमत के बराबर होगी, जिस पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को किए गए भुगतान हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए आठ प्रतिशत की दर से छूट दी जाएगी। तिमाही के लिए कर की गणना के मामले में, छूट की गणना दो प्रतिशत प्रति तिमाही की दर से की जाएगी। कुल अनुमत अधिकतम छूट 64 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

चयनित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में निजी वाहन के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 18 पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों[5] में 103 वाहन मालिकों ने अन्य राज्यों से वाहन खरीदे और अपने वाहनों को इन पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में पंजीकृत किया या निजी प्रयोजनों के लिए इन वाहनों का उपयोग करने हेतु जुलाई 2015 और मार्च 2020 के मध्य इन पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में पंजीकृत वाणिज्यिक कार खरीदी। तथापि, पंजीकरण के समय विभाग ने इन वाहन मालिकों को निर्धारित दरों से अधिक छूट की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.47 लाख के मोटर वाहन कर की कम वसूली हुई।

संबंधित पंजीकरण प्राधिकारियों ने बताया कि वसूली के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

3.4.2 एक ही प्रकार के वाहनों के डीलरों द्वारा दर्शाई गई एक्स-शोरूम कीमतों का प्रभाव

दिनांक 29 सितंबर 2017 की अधिसूचना के नोट (बी)(ii) में प्रावधान है कि नए वाहन के मामले में मोटर वाहन कर की गणना के लिए मोटर वाहन की लागत एक्स-शोरूम कीमत होगी। परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ ने स्पष्ट किया (18 जून 2013) कि वाहन की एक्स-शोरूम कीमत, केंद्रीय तथा राज्य करों/शुल्कों एवं अन्य खर्चों सहित वाहन की कीमत है।

लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण देखे जहां एक्स-शोरूम कीमतों पर मोटर वाहन कर नहीं लगाया गया था जैसा कि नीचे दिया गया है:

क) चयनित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में निजी वाहनों के पंजीकरण से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, परिवहन आयुक्त और नौ पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारियों[6] के कार्यालयों में यह पाया गया था कि चयनित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में स्वामित्व के हस्तांतरण पर 132 गैर-परिवहन वाहन पंजीकृत किए गए थे। ये वाहन चयनित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के अलावा अन्य में मूल रूप से पंजीकृत थे। इन वाहनों को ₹ 8.98 करोड़ की एक्स-शोरूम कीमत पर पंजीकृत किया जाना अपेक्षित था जबकि पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों ने इन वाहनों को ₹ 1.42 करोड़ की कीमत पर पंजीकृत किया। फलस्वरूप, ₹ 7.01 लाख का मोटर वाहन कर लगाया गया जबकि ₹ 63.51 लाख उद्गृहीत किया जाना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 56.50 लाख के मोटर वाहन कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

---

5 अंबाला शहर, अंबाला कैंट, लाडवा, कलायत, गुल्हा, कैथल, पटौदी, गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (दक्षिण) सोहाना में, करनाल, असंध, घरौंडा, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बिलासपुर, जगाधरी और कालका।

6 थानेसर, लाडवा, पेहोवा, कलायत, गुल्हा, कैथल, पटौदी, गुरुग्राम (दक्षिण) और गुरुग्राम (उत्तर)।

संबंधित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

ख) चयनित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में निजी वाहनों के पंजीकरण के दौरान उद्गृहीत मोटर वाहन कर के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, परिवहन आयुक्त और 18 पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारियों[7] के कार्यालयों में यह पाया गया था कि 560 वाहन एक्स-शोरूम कीमत से कम कीमत पर पंजीकृत किए गए थे। इस प्रकार, ₹ 3.71 करोड़ के स्थान पर ₹ 3.08 करोड़ का मोटर वाहन कर उद्गृहीत एवं संगृहीत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.63 करोड़ के मोटर वाहन कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ने बताया कि नोटिस जारी किए जाएंगे और वसूली के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

ग) चयनित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण, गुरुग्राम (उत्तर) में यह पाया गया था कि पांच मामलों में वाहन दिसंबर 2017 और दिसंबर 2019 के मध्य पंजीकृत किए गए थे, जिनमें मोटर वाहन कर एक्स-शोरूम कीमत से अधिक मूल्य पर उद्गृहीत एवं संगृहीत किया गया था। ₹ 3.17 लाख का मोटर वाहन कर एकत्र किया गया था जबकि ₹ 1.44 लाख का मोटर वाहन कर उद्गृहीत किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप इन वाहन मालिकों से ₹ 1.73 लाख[8] की राशि के मोटर वाहन कर अधिक प्रभारण हुआ।

पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण, गुरुग्राम (उत्तर) ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

3.4.3 वाहन के पंजीकरण के समय मोटर वाहन कर की वसूली

हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 की धारा 3 और परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ की दिनांक 29 सितंबर 2017 की अधिसूचना[9] में कैंपर वैन के मामले में वाहन की लागत के बारह प्रतिशत की दर से मोटर वाहन कर के उद्ग्रहण का प्रावधान है।

जहां किसी मोटर वाहन के संबंध में देय कर का भुगतान निर्दिष्ट समय के अंदर मालिक या वाहन रखने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है, तो देय कर के भुगतान के अलावा, वह विलंब के प्रत्येक दिन के लिए देय कर के 0.5 प्रतिशत की दर से जुर्माना और हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम, 2016 की धारा 10 (2) के अंतर्गत देय तिथि से चूक जारी रहने तक

---

7 अंबाला शहर, अंबाला कैंट, थानेसर, पेहोवा, गुल्हा, कैथल, पटौदी, गुरुग्राम (दक्षिण), गुरुग्राम (उत्तर), इंद्री, करनाल, असंध, कालका, फरीदाबाद, नारायणगढ़, शाहबाद, कलायत और बड़खल।

8 ₹ 3,16,740 (उद्गृहीत वास्तविक मोटर वाहन कर) - ₹ 1,44,166 (देय मोटर वाहन कर)।

9 संख्या 13/15/2010-6टी(आई)।

एक प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। जुर्माने की वास्तविक राशि देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

चयनित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में निजी वाहन मालिकों के पंजीकरण से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान 13 पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों[10] (मोटर वाहन) में यह देखा गया था कि वाहनों का पंजीकरण करते समय नमूना-जांच किए गए 27,900 वाहनों में से 41 निजी वाहनों (कैंपर वैन) में पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों ने निर्धारित दर से कम दर पर मोटर वाहन कर उद्गृहीत किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.51 लाख की सीमा तक कम मोटर वाहन कर संगृहीत हुआ।

पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ने बताया कि संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे और वसूली के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

विभाग चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

3.5 सरकारी राजस्व को खजाने में जमा करना

पंजाब वित्तीय नियम (हरियाणा राज्य) भाग 1 के नियम 2.2 और 2.4 में प्रावधान है कि सभी सरकारी प्राप्तियों को संगृहीत होते ही कैश बुक में दर्ज किया जाना चाहिए और इसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। कैश बुक को नियमित रूप से बंद किया जाना चाहिए तथा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। नकद प्राप्ति उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक खजाने में जमा की जानी चाहिए। खजाने में जमा की गई प्राप्ति का समेकित विवरण प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसकी तुलना रोकड़-बही में की गई पोस्टिंग से की जानी चाहिए। तत्पश्चात, इस आशय का हस्ताक्षरित और दिनांकित प्रमाण-पत्र दर्ज किया जाना चाहिए। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे खजाना अधिकारी के साथ पत्राचार के माध्यम से ठीक करवाया जा सकता है।

चयनित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों में नकदी के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारण, अंबाला में यह देखा गया था कि 2019-20 के दौरान कर संग्रहण प्वाइंट[11] पर संगृहीत कुल प्राप्ति राशि ₹ 9.99 करोड़ में से ₹ 8.69 करोड़ की राशि खजाने[12] में जमा होते देखी गई थी, जो ₹ 1.30 करोड़ के कम जमा के जोखिम वाले समाधान के मामलों को दर्शाती है। समेकित खजाना रजिस्टर के माध्यम से खजाना कार्यालय के साथ मिलान के रूप में निर्धारित आंतरिक नियंत्रण का रखरखाव नहीं किया गया था।

परिवहन आयुक्त ने बताया (दिसंबर 2021) कि संबद्ध डेटा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से प्राप्त किया गया है तथा सितंबर 2019 माह की विसंगतियों का समाधान किया गया है और पाया

---

[10] नारायणगढ़, थानेसर, लाडवा, पेहोवा, शाहबाद, कलायत, गुहला, कैथल, पटौदी, गुरुग्राम (उत्तर), फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़

[11] जैसा कि परिवहन आयुक्त के कार्यालय में उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी में दर्शाया गया है।

[12] जैसा कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, अंबाला के कर संग्रहण प्वाइंट डेटा में दर्शाया गया है।

गया है कि ये प्रविष्टियां अन्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारणों से संबंधित हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए किसी भी सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम तंत्र को योग्य नहीं बनाया है और प्रत्येक प्रविष्टि को व्यक्तिगत रूप से जांचना आवश्यक है जिसमें समय लगेगा। इसके अलावा, परिवहन आयुक्त ने सूचित किया (दिसंबर 2021) कि उन्होंने संगृहीत एवं कोषागार में जमा धन के मध्य ₹ 5,842 के अंतर का आकलन किया था और इसे खजाने में जमा करवा दिया गया है।

विभाग प्राप्ति की जमा राशि का मिलान करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है तथा किसी भी कम प्राप्ति के लिए उचित कार्रवाई कर सकता है। समेकित खजाना प्राप्ति रजिस्टर का रखरखाव करने और खजाना अधिकारियों के साथ रसीदों का मिलान करने की भी आवश्यकता है।

3.6 अन्य अनियमितताएं

3.6.1 व्यापार फीस की वसूली

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 33 में प्रावधान है कि वाहनों के डीलर/विनिर्माता के कब्जे में मोटर वाहन को पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी से व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो। नियम 37 में प्रावधान है कि व्यापार प्रमाण-पत्र जारी करने या नवीकरण की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए जारी या नवीकृत किया जाता है। इसके अलावा, नियम 34 में प्रावधान है कि व्यापार प्रमाण-पत्र की प्रदानगी या नवीकरण के लिए आवेदन नियम 81 में निर्दिष्ट उचित फीस सहित किया जाना चाहिए। नियम 81 के अंतर्गत व्यापार प्रमाण-पत्र जारी/नवीकरण के लिए फीस निम्नानुसार है:

वाहन	प्रति व्यापार प्रमाण-पत्र व्यापार फीस	
	28 दिसंबर 2016 तक	29 दिसंबर 2016 से
दो पहिया	₹ 50	₹ 500
थ्री/फोर व्हीलर	₹ 200	₹ 1,000

चयनित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों में व्यापार प्रमाण-पत्र जारी करने और नवीकरण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि तीन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों[13] में 256 डीलरों/विनिर्माताओं में से 83 के व्यापार प्रमाण-पत्र अप्रैल 2015 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान नवीकरण हेतु देय थे, किंतु डीलरों ने व्यापार प्रमाण-पत्रों को नवीकृत नहीं करवाया। विभाग ने इन मामलों में उपर्युक्त नियम 33 के प्रावधान को लागू करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त ₹ 2.08 लाख की व्यापार फीस की भी वसूली नहीं की जा सकी।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने बताया कि वसूली की जाएगी।

[13] अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल।

3.6.2 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्रों के लाइसेंस का नवीकरण

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 24 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना मोटर वाहन किराये पर चलाने या प्रदान करने हेतु निर्देश देने के लिए किसी भी ड्राइविंग स्कूल या प्रतिष्ठान की स्थापना या रखरखाव नहीं करेगा। नियम 25 में प्रावधान है कि दिया गया लाइसेंस पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और इसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम साठ दिन पहले किए गए आवेदन पर नवीकृत किया जा सकता है। नियम 32 (इसके अंतर्गत दी गई तालिका का क्रमांक 10) में ड्राइविंग स्कूल या स्थापना को लाइसेंस जारी/नवीकरण करने के लिए 29 दिसंबर 2016 (29 दिसंबर 2016 से पहले ₹ 2,500) से ₹ 10,000 की फीस के उद्ग्रहण का प्रावधान है।

चयनित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों में अनुरक्षित वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण रजिस्टर के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि तीन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों[14] में 135 ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों में से 20 के लाइसेंस समाप्त हो गए थे और नवंबर 2015 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान नवीकरण हेतु देय थे। तथापि, ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों ने लाइसेंसों का नवीकरण नहीं करवाया। विभाग ने इन मामलों में उपर्युक्त नियम 24 के प्रावधान को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.78 लाख की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं की जा सकी।

संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने बताया कि संबंधित वाहन प्रशिक्षण केन्द्रों से राशि वसूल की जाएगी।

3.6.3 कम्प्यूटरीकृत नकद प्राप्तियों का अनियमित निरस्तीकरण

चयनित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के कार्यालयों की नकद प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, 12 पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों[15] और दो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों[16] में यह देखा गया था कि अप्रैल 2018 और मार्च 2020 के मध्य सृजित ₹ 4.81 करोड़ की 4,957 कम्प्यूटरीकृत नकद प्राप्तियों को उन्हीं व्यक्तियों द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिन्होंने प्राप्तियां सृजित की थीं। उसी व्यक्ति द्वारा प्राप्तियां निरस्त करने की कार्यप्रणाली जिसने इसे सृजित किया है, सरकारी धन के दुरुपयोग के जोखिम से भरा है। सृजित की गई प्राप्ति को निरस्त करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया तथा अलग प्राधिकारी होना चाहिए। इन प्राप्तियों को निरस्त करने के लिए उच्च प्राधिकारी की अनुमति भी नहीं ली गई थी। इसके परिणामस्वरूप कम्प्यूटरीकृत नकद प्राप्तियों को अनियमित रूप से निरस्त किया गया और दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारियों और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

---

14 कैथल, फरीदाबाद और गुरुग्राम।

15 अंबाला शहर, अंबाला कैंट, शाहबाद, पंचकुला, रादौर, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, असंध, करनाल, इंद्री और घरौंडा।

16 गुरुग्राम और यमुनानगर।

3.6.4 निर्धारित समय के भीतर वाहनों का पंजीकरण न करना तथा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट न लगाना

परिवहन आयुक्त ने दिनांक 29 मार्च 2017 को एक अधिसूचना[17] जारी की जिसमें निर्दिष्ट किया गया कि वाहन मालिक संबंधित डीलर को सभी कर, फीस और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट फीस जमा करेगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 50 में प्रावधान है कि सभी नए पंजीकृत वाहनों पर निर्धारित विनिर्देशों वाली उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें लगाई जानी चाहिए। परिवहन विभाग, हरियाणा ने ठेकेदार के साथ 27 अप्रैल 2012 को हरियाणा राज्य में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की आपूर्ति करने और लगाने के लिए एक अनुबंध किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की दिनांक 4 दिसंबर 2018 अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 1162 (ई) के अनुसार, तीसरे पंजीकरण चिह्न सहित उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट, जहां अपेक्षित हो, 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद विनिर्मित वाहन के साथ वाहन विनिर्माताओं द्वारा उनके डीलरों को आपूरित की जाएगी और डीलर ऐसी प्लेटों पर पंजीकरण का चिह्न लगाएंगे और उन्हें वाहन पर लगा देंगे। डीलर फाइल का कार्य पूरा करेगा और फाइल की हार्ड कॉपी दो कार्य दिवसों के भीतर निश्चित रूप से पंजीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी और पंजीकरण प्राधिकारी सात कार्य दिवसों के भीतर डीलर को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा। डीलर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाहन मालिक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र सौंपे जाने से पहले उसके परिसर में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगा दी गई है और वाहन पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाए बिना कोई भी वाहन डीलर के परिसर से बाहर नहीं जाएगा।

चयनित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के मोटर वाहन कर के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 13 पंजीकरण प्राधिकरणों[18] में 291 मोटर वाहनों के मालिकों ने मई 2017 और मार्च 2020 के मध्य मोटर वाहन कर तथा वाहनों के पंजीकरण के लिए फीस के रूप में डीलरों के पास ₹ 62.04 लाख जमा करवाए। तथापि, उनके वाहनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र बिक्री/कर राशि जमा करवाने की तारीख से 10 से 22 माह बीत जाने के बाद भी जारी नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा ने वाहन एप्लिकेशन पर यथा उपलब्ध उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों को लगाने से संबंधित आंकड़ों से भी देखा कि 2019-20 के दौरान उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें लगाने के लिए 13,21,276 प्राधिकार स्लिपें जारी की गई थीं। हालांकि, 11 अगस्त 2021 तक केवल 10,48,178 वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें लगाईं गईं थी और 2,73,098[19] वाहन उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें लगाए जाने हेतु लंबित थे।

वाहनों का पंजीकरण न होने के मामले में, संबंधित पंजीकरण प्राधिकारियों ने बताया कि संबंधित डीलरों को नोटिस जारी किए जाएंगे। विभाग द्वारा उक्त वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें न लगाने के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

---

17 नंबर 17926-18023.

18 (i) अंबाला शहर, (ii) अंबाला कैंट, (iii) बराड़ा, (iv) गुरुग्राम (उत्तर), (v) नारायणगढ़, (vi) थानेसर, (vii) लाडवा, (viii) पेहोवा, (ix) शाहबाद , (x) बड़खल, (xi) बल्लभगढ़, (xii) फरीदाबाद और (xiii) पंचकुला।

19 (7,201-डीलर + 2,65,897-वेंडर)।

विभाग को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों के निर्धारण की निगरानी के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

3.7 सड़क सुरक्षा

3.7.1 परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीकरण

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर वाहन का उपयोग करने के लिए परिवहन वाहन हेतु फिटनेस प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62 के अधीन फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले की जाने वाली आवश्यक जांच नीचे तालिका में दी गई है। यदि निर्धारित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि वाहन अब अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है, तो वे लिखित में दर्ज कारणों के साथ किसी भी समय फिटनेस प्रमाणपत्र को रद्द कर सकते हैं। इस तरह के रद्दीकरण की तिथि पर, वाहन के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र तब तक निलंबित माना जाता है जब तक कि नया फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन की फिटनेस जांच करने के लिए फीस और फिटनेस प्रमाण-पत्र की प्रदानगी/नवीकरण के लिए फीस निम्नानुसार निर्धारित[20] की है:

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	राशि
फिटनेस प्रमाण-पत्र की प्रदानगी/नवीकरण के लिए परीक्षा आयोजित करना		
क	मोटरसाइकिल	मैनुअल: ₹ 200 स्वचालित: ₹ 400
ख	तीन पहिया या हल्का मोटर वाहन या क्वाड्रिसाइकिल	मैनुअल: ₹ 400 स्वचालित: ₹ 600
ग	मध्यम या भारी मोटर वाहन	मैनुअल: ₹ 600 स्वचालित: ₹ 1,000
मोटर वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण-पत्र की प्रदानगी या नवीकरण		₹ 200 फिटनेस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के बाद विलंब के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 50 की अतिरिक्त फीस लगाई जाएगी।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 62 में प्रावधान है कि वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र की वैधता निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	अवधि
1.	नया परिवहन वाहन	दो वर्ष
2.	परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीकरण	एक वर्ष आठ वर्ष पुराने वाहनों के लिए दो वर्ष और आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए एक वर्ष (2 नवंबर 2018 से प्रभावी)
3.	ई-रिक्शा और ई-कार्ट के संबंध में फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीकरण	तीन वर्ष

[20] अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर 2016

चयनित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों में 2,110 परिवहन वाहनों की फिटनेस के संबंध में वाहन पर उपलब्ध सूचना की संवीक्षा से पता चला कि सात[21] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों में 753 वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र मई 2015 और मार्च 2020 के मध्य समाप्त हो गए थे। हालांकि, वाहनों के मालिक अपने वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्रों के नवीकरण के लिए उपस्थित नहीं हुए। फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीकरण न होने के कारण 31 मार्च 2021 को फीस एवं जुर्माने सहित निहितार्थ धन मूल्य ₹ 3.93 करोड़ था।

इसके अलावा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र और कैथल में शैक्षणिक संस्थानों की 29 बसें सक्रिय थीं, हालांकि इन बसों के फिटनेस प्रमाण-पत्र 12 से 42 महीने पहले समाप्त हो गए थे। शिक्षण संस्थानों द्वारा इन वाहनों का उपयोग स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों को लाने एवं वापस छोड़ने के लिए किया जा रहा था और फिटनेस प्रमाण-पत्र के अभाव में इन वाहनों को चलाने से स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों की सुरक्षा से समझौता किया गया।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने बताया कि संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

3.8 वाहन प्रदूषण

3.8.1 प्रदूषण जांच केंद्रों से लाइसेंस फीस/जुर्माने की वसूली न करना

हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 162ए के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र परिवहन विभाग या अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र द्वारा जारी किया जाएगा। हरियाणा सरकार की दिनांक 24 मई 2016 की अधिसूचना के अनुसार प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्राधिकार ₹ 500 प्रति वर्ष फीस के भुगतान पर जारी/नवीकृत किया जाता है। प्रदूषण जांच केंद्र द्वारा प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले जमा करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर ₹ 100 प्रति सप्ताह की दर से विलंब फीस वसूल की जानी है।

चयनित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के प्रदूषण जांच केंद्रों से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान छः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों[22] में यह देखा गया था कि 933 प्रदूषण जांच केंद्रों में से 418 ने जनवरी 2017 और जनवरी 2020 के मध्य समाप्त होने वाली अवधि के बाद अपने प्राधिकार का नवीकरण नहीं करवाया था। विभाग ने चूककर्ताओं से प्राधिकार फीस वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और न ही इन प्रदूषण जांच नियंत्रण केंद्रों के अनधिकृत संचालन को रोकने के लिए कदम उठाए। प्राधिकार के गैर-नवीकरण में जुर्माने सहित ₹ 32.52 लाख का राजस्व निहितार्थ था।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने बताया कि नोटिस जारी किए जाएंगे और वसूली की जाएगी।

---

21 यमुनानगर, फरीदाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला और गुरुग्राम।

22 अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम।

3.8.2 प्रदूषण जांच केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण

परिवहन विभाग ने सितंबर 2015[23] में प्रदूषण जांच केंद्र की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को विस्तृत निर्देश जारी किए थे जिनमें यह प्रावधान शामिल था कि परिवहन विभाग के अधिकारी किसी भी समय प्रदूषण जांच केंद्र का निरीक्षण कर सकते हैं।

इन निर्देशों के अनुपालन हेतु उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग और लेखापरीक्षा द्वारा 22 जुलाई 2021 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले चार प्रदूषण जांच केंद्रों में एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था। चार प्रदूषण जांच केंद्रों की कार्यप्रणाली की जांच दिनांक 4 सितंबर 2015 के निर्देशों के आठ मानकों के विरूद्ध की गई थी। संयुक्त निरीक्षण का परिणाम नीचे सारणीबद्ध है:

क्र.सं.	जांच किए गए मामले	टिप्पणी
1	जांच करने की अनुमति प्रदान करने का प्रमाण-पत्र	दो केंद्रों ने प्रमाण-पत्र दिखाया जबकि दो ने नहीं दिखाया
2	सार्वजनिक दृश्य के लिए केंद्र के नाम के बारे में बैनर/बोर्ड/होर्डिंग का प्रदर्शन	एक केंद्र ने प्रदर्शित किया जबकि तीन ने प्रदर्शित नहीं किया
3	प्रदूषण जांच के लिए निर्धारित प्रभारों का प्रदर्शन	दो केंद्रों ने प्रदर्शित किया जबकि दो ने प्रदर्शित नहीं किया
4	विनिर्माता द्वारा जारी किया गया ऑपरेटर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र	किसी केंद्र ने प्रमाण-पत्र नहीं दर्शाया
5	नवीनतम अंशांकन प्रमाण-पत्र	एक केंद्र ने दिखाया जबकि तीन ने नहीं दिखाया
6	उत्सर्जन मानदंडों का प्रदर्शन	कोई केंद्र प्रदर्शित नहीं
7	विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के साथ गैस विश्लेषक/स्मोक मीटर का वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध	दो केंद्रों ने दर्शाया जबकि दो ने नहीं दर्शाया
8	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को मासिक रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण	कोई केंद्र मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रहा था

विभाग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रदूषण जांच केंद्र निर्धारित नियम प्रावधानों का पालन करता है।

संयुक्त निरीक्षण का परिणाम विभाग को जारी कर दिया गया है। विभाग ने कहा कि प्रदूषण जांच केंद्रों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

3.8.3 प्रदूषण नियंत्रण केंद्र में अनियमितताएं

परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार ने सितंबर 2015[24] में प्रदूषण जांच केंद्रों को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को प्रपत्र 8 में मासिक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, परिवहन विभाग के अधिकारी को किसी भी समय प्रदूषण जांच केंद्र का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया था।

---

[23] पत्र संख्या 39663-95 दिनांक 4 सितंबर 2015

[24] पत्र संख्या 39663-95 दिनांक 4 सितंबर 2015

चयनित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कुरुक्षेत्र, कैथल और गुरुग्राम में यह देखा गया था कि 2019-20 के दौरान, न तो प्रदूषण जांच केंद्रों ने संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को प्रपत्र 8 में आवश्यक मासिक रिपोर्ट भेजी और न ही संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ने प्रदूषण जांच केंद्रों से लंबित रिपोर्ट प्राप्त करने या उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए थे। यह पुष्टि करने के लिए अभिलेख में कुछ भी नहीं था कि विभाग के अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्रों का कोई निरीक्षण किया था या नहीं।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

विभाग को प्रदूषण नियंत्रण केंद्र पर निगरानी के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।